(1)

116

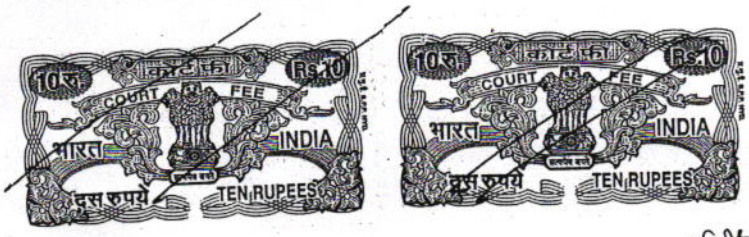

efRs 20=00

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

R-2312-II/12

भुवन तनय [redacted] भग्गू लोधी
निवासी ग्राम खरों तहसील-खरगापुर
जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

..निगराकार

बनाम

(1) रमाशंकर तनय छिदामी लोधी
(2) नारायणदास तनय छिदामी लोधी
(3) वृजभूषण तनय छिदामी लोधी
सभी निवासी ग्राम खरों तहसील-खरगापुर
जिला-टीकमगढ (म.प्र.)
(4) शासन म.प्र.

..प्रतिनिगराकारगण

RM
10.7.12

क्रमांक 1965
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 18-7-12 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानी प्रतिकूल नायब तहसीलदार महोदय जी खरगापुर के रा.प्र. क्रमांक/176/अ-6अ/85-86 आदेश दिनांक 19-5-86 के विरूद्ध ।

महोदय जी,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :-

यहकि निगराकार के आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1805 रकवा 3.257 है स्थित ग्राम खरों तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ म.प्र. उक्त भूमि पर निगराकार का पुस्तैनी कब्जा है । आज भी मौके पर कृषि कार्य कर कब्जा पक्का कुआं बना हुआ है जिसे प्रति निगराकारगण द्वारा विधि के प्रतिकूल आदेश कराकर अपने नाम करा लिया है । दिनांक 25-6-12 को मौके पर राजस्व निरीक्षक व पटवारी हल्का सीमांकन के लिये पहुँचे तब निगराकार को अनावेदक के नाम भूमि होने की जानकारी प्राप्त हु

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2312/दो/2012 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.6.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण में आवेदक के द्वारा निगरानी मे आवेदक को पक्षकार बनाये जाने बावत् आवेदन पत्र एवं धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र पर प्रकरण सुनवाई में लिया गया। अनावेदक अभिभाषक ने पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पत्र के सम्बन्ध मे बताया कि, किसी भी हितवद्ध व्यक्ति को पक्षकार आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. के अन्तर्गत पूर्व से विचाराधीन प्रकरण या कार्यवाही मे पक्षकार बनाये जाने का प्रावधान है, जो प्रकरण पूर्व मे विचाराधीन ही नहीं हो उसमे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता तथा अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं था और ना ही वह हितवद्ध व दुखी पक्षकार है। विवादित सर्वे नम्बर 1805 से आवेदक का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है। आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति	

हेतु कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया और ना ही न्यायालय से अनुमति ली है, उन्होंने न्यायिक दृष्टांत 1986 रा. नि. 394 प्रस्तुत किया जिसमे बताया गया है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये आवेदक की निगरानी निरस्ती योग्य है।

3– अनावेदक अभिभाषक ने धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र पर तर्क मे बताया कि, अनावेदक के हित मे विचारण न्यायालय ने विवादित सर्वे नम्बर 1805 के रकवा 1.619 हैक्टर का व्यवस्थापन म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1984 के तहत व्यवस्थापन आदेश दिनांक 19.05.1986 को किया था। आवेदक ने लगभग 26 वर्ष पश्चात् निगरानी प्रस्तुत की है, आवेदक ने अपने अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र मे जो आधार लिये है वे मनगढ़ंत व आधारहीन है विलम्ब क्षमा हेतु कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया और ना ही कोई साक्ष्य पेश की हैं अनावेदक को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गया है बिना ठोस आधार के विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता अपने तर्क के समर्थन मे अनावेदक अभिभाषक द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2015 MPWN 11 S.N. 155 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम दामोदर सिंह, AIR 1962 SC 361, 2010 RN Page 140 HC चैन सिंह बनाम म.प्र. शासन प्रस्तुत किया है।

मैंने अधीनस्त न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया व आवेदक के पक्षकार बनाये जाने के आवेदन तथा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र पर तथा

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाव व तर्क पर विचार किया। अभिलेख देखने से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक विवादित भूमि मे कोई हित नहीं रखता है, आवेदक विवादित भूमि मे हितवद्ध है अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण आवेदक ने प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु न्यायालय मे कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये आवेदक की निगरानी विचार योग्य नहीं पाता हूँ। मेरे द्वारा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पर न्यायिक रूप से विचार किया। आवेदक ने यह निगरानी 26 लगभग वर्ष पश्चात् विलम्ब से प्रस्तुत की है आवेदक ने निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई उचित व संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है, आवेदक के धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र मे उल्लखित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है गढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आवेदक जानकारी का आधार दिनांक 25.07.2012 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के समय बताने का उल्लेख किया है लेकिन वर्तमान राजस्व निरीक्षक ने 26 वर्ष पूर्व हुय आदेश की जानकारी आवेदक को किस आधार पर दी है यह आवेदक ने स्पष्ट नहीं किया है, साथ ही आवेदक ने अवधि विधान के आवेदन पत्र के पद क्रमांक 2 मे जानकारी दिनांक 25.07.2012 होना बताया है इसी पद मे नकल हेतु आवेदन 07.07.2012 को प्रस्तुत करना बताया है तथा नकल 09.07.2012 को प्राप्त होना बताया है जबकि आवेदक को जानकारी राजस्व निरीक्षक से दिनांक 25.07.2012 मिली है आवेदक का धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2012 को टाईप किया गया है इससे स्पष्ट है कि आवेदक

द्वारा जो आधार अवधि विधान के आवेदन पत्र मे लिया है वह बनावटी प्रतित होता है। आवेदक ने विचारण न्यायालय के विवादित आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की थी इस तथ्य को भी छुपाया है उसे न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना चाहियें था।

4- उपरोक्त विवेचना एवं अनावेदक द्वारा किये गये तर्को व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के परिपेक्ष्य में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक ने निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली है और ना ही अनुमति हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा आवेदक की निगरानी स्पष्ट रूप से अवधि बह्मय होने तथा नायब तहसीलदार खरगापुर के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकार बल्देवगढ़ को प्रस्तुत किये जाने और जो दिनांक 31.10.2013 को निरस्त हो गयी है को छुपाकर इस न्यायालय के समक्ष पुनः नायब तहसीलदार खरगापुर के आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है। जो प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाकर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 176/अ-6-अ/85-86 में पारित आदेश दिनांक 19.05.1986 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। सम्बधित सूचित हो।

सदस्य